ऑन लाईन नं. RCMS 2024/133

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार , आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 44 / 2024

1. रामस्नेही पत्नी स्व. श्री रामरख जाति बिश्नोई निवासी चक 1 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री रामरख जाति बिश्नोई निवासी चक 1 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. सुशीला पुत्री स्व. श्री रामरख जाति बिश्नोई निवासी चक 1 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. सुनीता पुत्री स्व. श्री रामरख जाति बिश्नोई निवासी चक 1 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. भूपेन्द्र पुत्र स्व. श्री रामरख जाति बिश्नोई निवासी चक 1 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. सुरेन्द्र पुत्र स्व. श्री रामरख जाति बिश्नोई निवासी चक 1 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. देवेन्द्र स्व. श्री रामरख जाति बिश्नोई निवासी चक 1 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ।
2. नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. कमला देवी पुत्री मदनलाल जाति जरगर निवासी पुरानी तहसील, वार्ड नम्बर 3, फतेहाबाद, तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)।
4. कृष्णारानी पुत्री मदनलाल जाति जरगर निवासी पुरानी तहसील, वार्ड नम्बर 3, फतेहाबाद, तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)।
5. मधुबाला पुत्री मदनलाल जाति जरगर निवासी पुरानी तहसील, वार्ड नम्बर 3, फतेहाबाद, तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)।
6. राधेश्याम पुत्र मदनलाल निवासी पुरानी तहसील, वार्ड नम्बर 3, फतेहाबाद, तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)।
7. राधारानी पुत्री मदनलाल निवासी पुरानी तहसील, वार्ड नम्बर 3, फतेहाबाद, तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)।
8. शामलाल पुत्र मदनलाल निवासी पुरानी तहसील, वार्ड नम्बर 3, फतेहाबाद, तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)।

— रेस्पोडेंटान

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अपील बनाराजी विरास्तन नामान्तकरण संख्या 796 दिनांक 19.06.2024 बहक प्रत्यर्थीगण संख्या 3 ता 8 , जो कि नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट जिला श्रीगंगानगर के द्वारा एकपक्षीय रूप से बिना समुचित जांच किये विरास्तन विधि विरूद्व स्वीकृत किया गया, बमुराद मन्सूखिया अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,

उपस्थित :

1. श्री दिनेश छाबड़ा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री भारतभूषण नागपाल , रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 8
3. श्री ऋषिपाल जोशी, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7

:: आदेश :: दिनांक :– 29.07.2025

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रत्यर्थीगण संख्या 3 ता 8 के पिता मदनलाल के नाम से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 6 एफ बडा के मुरब्बा नम्बर 3 की 6.200 हैक्टेयर अर्थात 24.10 बीघा में से निस्फ हिस्सा अर्थात 12.05 बीघा भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी।

1. यह कि मदनलाल के द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 23.03.2001 को अपने नाम की उक्त वर्णित कृषि भूमि का बेचान जरिए पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा से अपीलार्थीगण के वालिद श्री रामरख बिश्नोई को करके कब्जा सुपुर्द कर दिया। बैयनामा की प्रति संलग्न है।
2. यह कि मदनलाल के खिलाफ उक्त वर्णित भूमि के संदर्भ में एक वाद उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण अपीलार्थीगण के वालिद रामरख के नाम से उक्त वर्णित खरीदशुदा भूमि का नामान्तकरण स्वीकृत नहीं हुआ एवं भूमि यथावत राजस्व रिकॉर्ड में मदनलाल के नाम से अंकन रही।
3. यह कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन वाद अनवानी रघुनाथ बनाम मदनलाल वगैरा में अपीलार्थीगण के पिता भी पक्षकार बने एवं उक्त मुकदमा तत्पश्चात राजस्व मंडल, अजमेर में विचाराधीन रहा एवं आज भी वहां से वापिस आकर उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन है।
4. यहकि अपीलार्थीगण के पिता रामरख का देहान्त दिनांक 25.01.2016 को हो चुका है एवं अपीलार्थीगण जायज वारिसान होने के नाते अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है। मदनलाल का देहान्त दिनाक 08.10.2014 को हो चुका है जिनके वारिसान को इस तथ्य का भली भांति ज्ञान है कि मदनलाल के द्वारा उक्त वर्णित भूमि का बेचान जरिए पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा से अपीलार्थीगण के पिता रामरख को कर कब्जा सुपुर्द किया हुआ है। इसके अलावा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के एवं राजस्व मंडल में रामरख के स्थान पर अपीलार्थीगण एवं मदनलाल के स्थान पर प्रत्यर्थीगण संख्या 3 ता 8 प्रतिस्थापित हो चुके हैं।
5. यह कि वाद विचारण दौरान प्रत्यर्थीगण संख्या 3 ता 8 के द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को छुपाकर एकपक्षीय रूप से बिना अपीलार्थीगण को तलब किये अथवा सूचित किये तहसीलदार, श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन मदनलाल की मृत्यु होना कथन कर विरास्तन इंतकाल स्वीकृत करने बाबत प्रस्तुत किया जिसमें गलत तौर पर विरास्तन की रिपोर्ट करवाकर एवं समस्त तथ्यों को छुपाकर एकपक्षीय रूप से नामान्तकरण

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 796 दिनांक 19.06.2024 को स्वीकृत करवा लिया जिसकी नाराजी से निम्न वजूहात पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की जा रही है।

माकूल वजूहात

1. यह कि इंतकाल संख्या 796 दिनांक 19.06.2024 जेर अपील खिलाफ कानून व रूऐदाद गिसाल है प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न अपील है।
2. यहकि विरास्तन इंतकाल जेर अपील सख्या 796 स्वीकृत करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो अपीलार्थीगण को व्यक्तिगत रूप से नोटिस दिया एवं ना हीं अपीलार्थीगण को जवाब, साक्ष्य सुनवाई का अवसर ही दिया। यहां यह तथ्य अंकित करना आवश्यक होगा कि अधीनस्थ न्यायालय को इस तथ्य की बाखूबी जानकारी थी कि उक्त वर्णित कृषि भूमि के सम्बन्ध में वाद विचाराधीन है इसके अलावा पूर्व मे रामरख की ओर से प्रार्थनापत्र मय बैयनामा दिनांक 23.03.2001 की प्रति प्रस्तुत कर नामान्तकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया हुआ है ऐसी स्थिती में मदनलाल, जो कि भूमि का बेचान कर चुका था, से नामान्तकरण अपीलार्थीगण के नाम से किया जाना चाहिये था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा समस्त कानूनी बिन्दुओं को दरकिनार कर महज प्रत्यर्थीगण संख्या 3 ता 8 को अनुचित लाभ देने के आशय से एकपक्षीय बिना कोई नोटिस रामरख के वारिसान को जारी किये स्वीकृत किया गया है। हस्तगत प्रकरण में जाहिरा तौर से बिना अपीलार्थीगण को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना कोई साक्ष्य ऐतराज लिये अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत किया गया है जो कि कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यहकि अपीलाधीन इंतकाल संख्या 796 दिनांकित 19.06.2024 विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत एवं लैन्ड रिकॉर्ड रूल्स की अवहेलना में पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। लैन्ड रिकॉर्ड रूल्स में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि पंजीकृत बैयनामा के आधार पर नामान्तकरण खोला जायेगा एवं विरास्तन इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व इस तथ्य की जांच की जावे कि आया कोई वाद विवाद विचाराधीन है अथवा नहीं और अन्य किसी का कोई हक अथवा हित निहित है अथवा नहीं लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर एवं पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा दिनांक 23.03.2001 को नजर अन्दाज करते हुए अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत किया है जो कि नामान्तकरण स्वीकृत करने सम्बन्धित सभी कानूनी प्रावधानों को दरकिनार कर अज्ञात कारणों के अधीन इन्तकाल स्वीकृत किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।
4. यह कि अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व स्वर्गीय श्री नोध सिंह के वारिसान के सम्बन्ध में कोई जांच अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गयी एवं ना हीं इस सम्बन्ध में सभी वारिसान को तलब कर जांच की गयी कि आया नोध सिंह के द्वारा अपने जीवनकाल में कभी कोई दस्तावेज वसीयत इत्यादि निष्पादित की अथवा नहीं, इसलिये भी अपीलाधीन इंतकाल सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।
5. यह कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्यर्थी संख्या 3 ता 8 गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर लालचवंश हो चुकी है तथा विरास्तन नामान्तकरण के आधार पर कृषि भूमि में अपीलार्थीगण का हक व हिस्सा, जो कि पंजीकृत वैयनामा के आधार पर प्राप्त हुआ है, अपीलार्थीगण के विधिक अधिकारों को समाप्त करने के आशय से वर्तमान में बिना अधिकार अपीलाधीन कृषि भूमि को अपने नाम से गलत रूप से

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होने का अनुचित लाभ उठाकर अब अन्यत्र रहन, बैय दीगर तरीके से गुन्तकिल करने पर उतारू है यदि प्रत्यर्थीगण संख्या 3 ता 8 अपने इस नापाक मन्सूबे में कामयाब हो जाते है तो अपीलार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी एवं अपीलार्थीगण अपने विधिक अधिकारों से वंचित हो जायेंगे। अपील के अन्तिम निस्तारण में समय लगना स्वभाविक है इसलिये अपीलार्थीगण प्रत्यर्थीगण संख्या 3 ता 8 के खिलाफ इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि प्रत्यर्थीगण संख्या 3 ता 8 विवादग्रस्त भूमि की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिती कायम रखे।

6. यह कि अपीलाधीन इंतकाल बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये एवं क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पंजीकृत बैयनामा नजरअन्दज कर स्वीकृत किया गया होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
7. यह कि अपीलाधीन इंतकाल संख्या 796 एकपक्षीय बिना स्वर्गीय श्री रामरख के वारिसान को व्यक्तिगत नोटिस दिये बिना कोई जांच किये स्वीकृत किया गया है जिसकी कतई जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं थी। अपीलार्थीगण को अपीलाधीन इंतकाल संख्या 796 के स्वीकृत होने की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.08.2024 को राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी की प्रति प्राप्त करने पर हुई जिस पर अविलम्ब आज ही नकल प्राप्त कर बिना किसी अतिरिक्त विलम्ब अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलाधीन इंतकाल क्षेत्राधिकार से बाहर एवं लैन्ड रिकॉर्ड रूल्स के प्रावधानों के खिलाफ स्वीकृत किया गया होने के कारण वैसे भी मियाद का प्रश्न महत्तवहीन है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी उपरोक्त आधार पर क्षमा किये जाने योग्य एवं अपील अन्दर मियाद तस्वर किये जाने योग्य है।

लिहाजा अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन इंतकाल संख्या 796 दिनांकित 19.06.2024 निरस्त फरमाया जावे एवं पंजीकृत बैयनामा के आधार पर इन्तकाल स्वीकृत करने हेतू अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

उपरोक्त अनवानी अपील में रेस्पोडेंट संख्या 3 से 8 की ओर से लिखित बहस निम्न प्रकार है :–

1. यह कि अपीलार्थीगण ने मदनलाल पुत्र ईशरदास के नाम दर्ज चक 6 एफ बड़ा पटवार हल्का कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 3 की 6.200 है. में से निस्फ हिस्सा यानि 3.100 है. कृषि भूमि जिसका विरास्तन नामान्तरण संख्या 796 दिनांक 19.06.2024 से रेस्पोडेंट संख्या 3 से 7 के नाम दर्ज किया गया को निरस्त करवाने एवं पंजीकृत बैयनामा के आधार पर इन्तकाल स्वीकृत करवाने के अनुतोष की मांग के साथ पेश की है उक्त अपील वास्तविकता को छिपाकर मिथ्या व मनगढ़त आधारो पर पेश की हुई होने के कारण काबिले निरस्ती है।

यह कि अपीलार्थीगण के पिता रामरख पुत्र रामलाल जाति बिश्नोई के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 3 से 8 के पिता मदनलाल पुत्र ईशरदास के नाम दर्ज कृषि भूमि का वैयनामा दिनांक 23.03.2001 को किया गया तथा उक्त बैयनामा जरिये मुखत्यारे आम जसवीर सिंह पुत्र अजायब सिंह निवासी 500 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज०) से पंजीबद्ध करवाया गया है। यहां यह उल्लेख करने योग्य है कि रेस्पोडेंट संख्या 3 से 8 के पिता ने अपने जीवनकाल में दिनांक 28.02.2001 को अथवा अन्य किसी

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

दिन जसवीर सिंह पुत्र अजायब सिंह निवासी 500 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज०) को मुखत्यारे आम नियुक्त नहीं किया गया है। जसवीर सिंह से कोई जान पहचान व रिलेशन ही नहीं है उक्त मुखत्यारे आम रेस्पोडेंट संख्या 3 से 8 के पिताजी की जगह किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके फर्जी व कूटरचित तैयार किया गया है जिसके आधार पर किया गया बैयनामा दिनांक 23.03.2001 प्रारम्भतः ही शुन्य है जिसके आधार पर अपीलार्थीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

3. यह कि अपीलार्थीगण के हक में रेस्पोडेंट संख्या 3 से 8 के पिता मदनलाल द्वारा बैयनामा दिनांक 23.03.2001 को तैयार किया गया है तथा फर्जकारी मुखत्यारे आम दिनांक 28.02.2001 को तैयार किया गया तथा बैयनामा में प्रतिफल राशि 4,00,000/– रूपये अखरे चार लाख रूपये पूर्व में नगद वसुल पा लिये है" अंकित किया हुआ है जबकि अपीलार्थीगण के पिता रामरख ने, रेस्पोडेंट संख्या 3 से 8 के पिता मदनलाल को कोई राशि नहीं दी हुई है तथा कब्जा भी सपुर्द नहीं किया हुआ है तथा रेस्पोडेंट के पिता मदनलाल अपने जीवनकाल में पूर्णतः स्वस्थ थे उनको मुखत्यारे आम नियुक्त करने की एवं कृषि भूमि विक्रय करने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी जिससे भी अपीलार्थीगण द्वारा पेश की गई अपील मिथ्या व मनगढ़त तथ्यो पर वास्तविकता को छिपाकर पेश की गई होना प्रमाणित होता है, उक्त अपील में वर्णित तथ्यो के आधार पर अपीलार्थीगण को विरास्तन नामान्तरण खारिज करवाने का कोई हक व अधिकार नहीं है।

4. यह कि रेस्पोडेंट संख्या 3 से 8 के पिता मदनलाल ने अपने जीवनकाल में वर्ष 1999–2000 में कृषि भूमि ठेका पर दी थी इसके अलावा कोई संव्यवहार अपीलार्थीगण के पिता रामरख के साथ नहीं रहा है यदि अपीलार्थीगण के पिता रामरख के पास कोई वैध बैयनामा होता तो बैयनामा दिनांक 23.03.2001 को पंजीयन होने के बाद नामान्तरण करवा लिया जाता । बैयनामा पंजीयन करवाने के बाद उसे 24 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी है जिसको अपीलार्थीगण ने अथवा अपीलार्थी संख्या 1 के पति व 2 से 7 के पिता रामरख ने कभी भी अपने जीवनकाल में प्रकट नहीं किया है इसलिए भी अपीलार्थीगण की अपील काबिले निरस्ती है।

5. यह कि नामान्तरण दर्ज करने से पूर्व पटवारी हल्का द्वारा कब्जा काश्त की जांच की गई है रेस्पोडेंट संख्या 3 से 8 के विधिवत काबिज होने के कारण ही पटवारी हल्का द्वारा विरास्तन नामान्तरण किया गया है जो विधिवत् है। फर्जकारी तरीके से मुखत्यारे आम तैयार करके फर्जकारी तरीके से बिना कोई प्रतिफल अदा किये तैयार किया गया बैयनामा प्रारम्भ से ही शुन्य है तथा उक्त बैयनामा को 24 वर्ष से अधिक समय से प्रयोग में नहीं लिया गया है, ऐसे शुन्य दस्तावेज से अपीलार्थीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है इसलिए अपील काबिले निरस्ती है।

6. यह कि अपीलार्थी संख्या 1 के पति रामरख ने अपने जीवनकाल में तथा रामरख की दिनांक 25.01.2016 को देहान्त होने के बाद अपीलार्थीगण अपील में वर्णित कृषि भूमि के कभी भी काबिज नहीं रहे है ऐसी स्थिती में अपीलार्थीगण को कूटरचित बैयनामा के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 3 से 8 के पक्ष में किए गए विरास्तन नामान्तरण को निरस्त करवाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है।

7. यह कि रेस्पोडेंट संख्या 3 से 8 के पिता मदनलाल के स्वर्गवास होने के बाद चक 6 एफ बड़ा पटवार हल्का कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 3 की

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

6.200 है., में से निस्फ हिस्सा यानि 3.100 है. कृषि भूमि का रेस्पोडेंट संख्या 3 से 8 के पक्ष में किया गया विरास्तन नामान्तरण संख्या 796 दिनांक 19.06.2024 विधिवत है जिसको निरस्त करने से रेस्पोडेंट संख्या 3 से 8 के विधिक अधिकार प्रभावित होगे इसलिए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किया जाना न्याससंगत है।

8. यह कि नामान्तरण करने से पूर्व कब्जा काश्त की रिपोर्ट ली जाकर ही नामान्तरण किया जाता है रेस्पोडेंट संख्या 3 से 8 अपील में वर्णित 3.100 है. कृषि भूमि के विधिवत काबिज है तथा रेस्पोंडेंट संख्या 3 से 8 के पिता अपने जीवन काल में काबिज रहे, अपीलार्थीगण ने अपनी अपील में एवं अपने कथनो में काबिज होने के कथन नहीं किये है जिससे भी रेस्पोडेंट संख्या 3 से 8 के काबिज काश्त के कथन स्वीकार है ऐसी स्थिती में कब्जा ना होने के कारण सन्देहास्पद एवं कूटरचित तरीके से तैयार किये गये 24 वर्ष पूर्व के बैयनामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज करवाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है इसलिए भी अपील काबिले निरस्ती है।

अतः लिखित बहस रेस्पोडेंट संख्या 3 से 8 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण खारिज करने के आदेश दिये जावे।

उपरोक्त अनवान की अपील में अपीलार्थीगण की ओर से लिखित बहस निम्न प्रस्तुत है :–

1. यह कि उपरोक्त अनवान की अपील अपीलांटस के द्वारा नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट के द्वारा स्वीकृत विरास्तन इंतकाल संख्या 796 दिनांक 19.06.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की है। उक्त विरास्तन इंतकाल के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में मदनलाल के नाम से अंकित कृषि भूमि वाके तहसील श्रीगंगानगर के चक 6 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 3 की 6.200 है. में से निस्फ हिस्सा अर्थात 12.05 बीघा भूमि का विरास्तन इंतकाल स्वीकृत बिना किसी जांच के एवं सही तथ्यों से वाकिफ होने के बावजूद स्वीकृत किया गया है।
2. यह कि अपीलांटस की ओर से सही तथ्य इस प्रकार से निवेदन है कि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 6 एफ बड़ा का मुरब्बा नम्बर 3 का किला नम्बर 1 से 25 में कुल 24.10 बीघा कृषि भूमि मदनलाल व चुन्नीलाल के नाम से निस्फ निस्फ हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड थी अर्थात मदनलाल का उक्त भूमि में से 12.05 बीघा हक व हिस्सा था।
3. यह कि मदनलाल के द्वारा अपनी उक्त भूमि की सार संभाल एवं हरकिस्म से बेचान करने हेतू पंजीकृत मुख्तयारनामा दिनांक 28.02.2001 जसवीर सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह निवासी 500 एल. एन.पी., तहसील व जिला श्रीगंगानगर को दिया हुआ था।
4. यह कि जसवीर सिंह पुत्र अजायब सिंह के द्वारा मदनलाल पुत्र श्री ईशरदास के निर्देश पर मदनलाल के नाम की भूमि वाके तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 6 एफ बड़ा का मुरब्बा नम्बर 3 का किला नम्बर 1 से 25 में कुल 24.10 बीघा कृषि भूमि में से निस्फ हिस्सा अर्थात 12.05 बीघा का बेचान जरिए पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा दिनांक 23.03.2001 से अपीलार्थीगण के पिता स्वर्गीय श्री रामरख पुत्र श्री रामलाल को करके कब्जा सुपुर्द कर दिया। बैयनामा की प्रति अपीलीय पत्रावली पर प्रस्तुत है।
5. यह कि बैयनामा दिनांक 23.03.2001 के आधार पर अपीलार्थीगण के पिता के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में इन्तकाल करवाये जाने के लिए कार्यवाही करने पर अपीलार्थीगण

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

के पिता को यह जानकारी हुई कि मदनलाल के नाम की कृषि भूमि के संदर्भ में एक राजस्व वाद अनवान रघुनाथ राय बनाम मदनलाल वगैरा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में सन् 1989 से विचाराधीन है जिसमें पारित स्थगन के कारण नामान्तकरण अपीलार्थीगण के पिता रामरख के नाम से स्वीकृत नहीं हुआ।

6. यह कि अपीलार्थीगण के पिता के द्वारा विचाराधीन राजस्व वाद में पक्षकार बनाये जाने हेतू आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलार्थीगण के वालिद स्वर्गीय श्रीरामरख को विचाराधीन वाद में पक्षकार बनाया गया। अपीलार्थीगण के पिता स्वर्गीय श्रीरामरख के द्वारा वाद में पक्षकार बनने के उपरान्त अपना जवाब दावा एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर खरीद की गयी भूमि का खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा। रामरख के द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा एवं काउन्टर क्लेम पर वादी रघुनाथ की ओर से यह आपत्ति करने पर कि दौराने विचारण बाद रामरख के द्वारा भूमि खरीद की गयी है इसलिये उसके काउन्टर क्लेम को आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत निरस्त किया जावे तो उपखण्ड अधिकारी के द्वारा रघुनाथ का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। रघुनाथ के द्वारा माननीय राजस्व मंडल, अजमेर के समक्ष निगरानी संख्या 5739/2005 अनवान रघुनाथ बनाम मदनलाल वगैरा प्रस्तुत करने पर माननीय राजस्व मंडल के द्वारा दिनांक 02.05.2024 को यह आदेश पारित किया कि चूंकि रामरख के द्वारा दौराने विचारण वाद भूमि खरीद की है एंव पूर्व में ही मदनलाल के द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका है एवं रामरख स्टैप इन शू है ऐसी स्थिती में मदनलाल को सम्पति प्राप्त होने पर ही रामरख को प्राप्त होगी। जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम को डी पॉर्ट में शामिल करने का आदेश दिया। आदेश की प्रति अपीलीय पत्रावली पर उपलब्ध है।

7. यह कि माननीय राजस्व मंडल, अजमेर के उक्त निर्णय का सार यही था कि वाद निरस्त होने की स्थिती में रामरख के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत बैयनामा विधिक रूप से प्रमाणित होता एवं बैयनामा के आधार पर रामरख अपने नाम से नामान्तकरण करवाने का अधिकारी होगा।

8. यह कि दौराने विचारण निगरानी राजस्व मंडल, रामरख पिता अपीलार्थीगण का देहान्त दिनांक 25.01.2016 को हो गया एवं अपीलार्थीगण पक्षकार बन गये। अजमेर से पत्रावली वापिस आने पर वाद पत्रावली में भी अपीलार्थीगण पक्षकार बन गये।

9. यह कि वाद में वादी रघुनाथ जरिए अधिवक्ता उपस्थित आया एवं अपीलार्थीगण के पक्षकार बन जाने के फलस्वरूप न्यायालय के द्वारा वादी रघुनाथ को संशोधित शीर्षक प्रस्तुत करने एंव अन्य कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

10. यह कि वाद के विचारण दौरान ही मदनलाल का देहान्त दिनांक 08.10.2014 को हो गया एवं उसके विधिक वारिसान रेस्पो. पत्रावली पर पक्षकार बन गये एवं स्टेट को भी उक्त विवाद के विचाराधीन होने की बाखूबी जानकारी थी।

11. यह कि माननीय राजस्व मंडल, अजमेर से उक्त निर्णय होने के उपरान्त समस्त तथ्यों से भली प्रकार से स्टेट के द्वारा एवं मदनलाल के वारिसान के द्वारा, कि मदनलाल के द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपने नाम की भूमि पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा से विक्रय की जाकर कब्जा का अन्तरण किया जा चुका है, समस्त तथ्यों को छुपाकर मदनलाल के वारिसान रेस्पो. के नाम से विवाद के विचाराधीन होने एवं बिना अपीलार्थीगण को तलब किये अथवा जांच किये विरास्तन इंतकाल स्वीकृत कर दिया जिसे मौजूदा अपील में चुनौती दी गयी है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (पशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

12. यह कि राजस्व वाद अनवानी रघुनाथ राय बनाम मदनलाल वगैरा दिनांक 30.05.2025 को निरस्त हो चुका है जिसकी प्रति अपीलीय पत्रावली पर प्रस्तुत है अर्थात राजस्व वाद के समाप्त होने की स्थिती में अपीलार्थीगण के पिता रामरख के नाम से पंजीकृत बैयनामा दिनांक 23.03.2001 के आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत किया जाना विधिक रूप से आवश्यक हो गया एवं यहां यह भी अंकन करना आवश्यक होगा कि मदनलाल के द्वारा अपने जीवनकाल में ही चूंकि अपने नाम की भूमि का जरिए पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा से बेचान कर कब्जा अन्तरित किया जा चुका था इसलिये उसके समस्त विधिक अधिकार उसके नाम की भूमि में समाप्त होकर रामरख में सृजित हो चुके थे महज राजस्व वाद के विचाराधीन होने के कारण नामान्तकरण स्वीकृत नहीं हुआ लेकिन इसका तात्पर्य कदापि यह नहीं लगाया जा सकता था एव ना हीं विरास्तन इंतकाल मदनलाल के वारिसान के नाम से किया जा सकता था। राजस्व वाद के निरस्त होने की स्थिती में अपीलार्थीगण वर्तमान परिस्थितिया में बैयनामा के आधार पर अपने पिता रामरख के नाम से बतौर खरीददार एवं तदुपरान्त अपने नाम से विरास्तन इंतकाल स्वीकृत करवाने के अधिकारी हो गये है।

13. यह कि यह तथ्य भी प्रमाणित है कि स्टेट, जिसके कर्मचारियों एवं अधिकारियों के द्वारा विरास्तन इंतकाल स्वीकृत किया गया है, को रामरख के द्वारा भूमि जरिए पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा से खरीद करने के तथ्यों की बाखबी जानकारी थी इसके अलावा राजस्व वाद विचाराधीन है इसकी भी जानकारी थी लेकिन समस्त तथ्यो को नजर अन्दाज कर बिना अपीलार्थीगण को तलब किये, बिना कोई जांच किये, बिना मौका जांच किये एकपक्षीय रूप से विरास्तन इंतकाल स्वीकृत किया गया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

14. यह कि पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा से भूमि का विक्रय होने के उपरान्त बेचानकर्ता के समस्त अधिकार समाप्त हो जाते है एवं उसके विधिक वारिसान को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है कि पिता के द्वारा भूमि का बेचान करने के बावजूद रिकॉर्ड में अपने पिता का नाम अंकन होने का अनुचित लाभ उठाकर भूमि अपने नाम से विरास्तन दर्ज करवावें। ऐसी स्थिती में अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किये जाने योग्य एवं विरास्तन इंतकाल संख्या 796 दिनांक 19.06.2024 निरस्त किया जाकर पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा के आधार पर नामान्तकरण रामरख के नाम से स्वीकृत किया जाकर अपीलार्थीगण के नाम से विरास्तन अंकन किया जाना न्यायोचित है।

15. यहकि नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व न तो कथित वारिसान की जांच की गयी, बेचान के तथ्यों से अवगत होने के बावजूद अपीलार्थीगण को तलब नहीं किया गया, मौका पर कब्जा काश्त की जांच नहीं की गयी अर्थात लैन्ड रिकॉर्ड रूल्स की कतई पालना नहीं की गयी एवं पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा के अस्तित्व में रहते उत्तराधिकारिता के आधार पर नामान्तकरण कतई नहीं हो सकता इसलिये अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अपीलाधीन इंतकाल की सर्वप्रथम जानकारी जमाबन्दी की प्रति दिनांक 14.08.2024 को होने पर अपील प्रस्तुत की गयी है जो जानकारी से अन्दर मियाद है एवं प्रकरण की परिस्थितियों के अनुरूप वैसे भी मियाद का बिन्दु गौण है तथा गौरतलब तथ्य यह भी है कि अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मियाद संदर्भित तथ्यों का कोई खण्डन प्रत्यर्थीगण की ओर से नहीं है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अतः लिखित बहस अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर विरासतन नामान्तकरण संख्या 796 दिनांक 19.06.2024 को निरस्त फरमाया जावे एवं पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा दिनांक 23.03. 2001 के आधार पर अपीलार्थीगण के वालिद रामरख के नाम से तथा तदुपरान्त विरासतन नामान्तकरण अपीलार्थीगण के नाम से स्वीकृत करने के आदेश पारित किये जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा चक 6 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 3 की 6.200 है. में से निस्फ हिस्सा अर्थात 12.05 बीघा भूमि का विरासतन इंतकाल संख्या 796 दिनांक 19.06.2024 जो नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट के द्वारा स्वीकृत किया गया है के विरूद्व पेश की है। उक्त विवादित भूमि चक 6 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 3 की 6.200 है. में से निस्फ हिस्सा अर्थात 12.05 बीघा भूमि पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा दिनांक 23.03.2001 से अपीलार्थीगण के पिता स्वर्गीय श्री रामरख पुत्र श्री रामलाल के द्वारा क्रय की गई है जो पत्रावली में उपलब्ध बैयनामा दिनांक 23.03. 2001 से प्रमाणित है। उक्त बैयनामा से खरीद शुदा भूमि का इन्तकाल राजस्व वाद अनवान रघुनाथ राय बनाम मदनलाल वगैरा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में सन् 1989 से विचाराधीन होने के कारण अपीलार्थीगण का इन्तकाल स्वीकृत नहीं होना अपीलार्थीगण द्वारा अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के अवलोकन से पाया कि विवादित इन्तकाल संख्या 796 दिनांक 19.06.2024 जो विरास्तन स्वीकृत किया गया है, को स्वीकृत करते समय उक्त विवादित भूमि पर कब्जा के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई, ना ही अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्टगण के द्वारा उक्त विवादित भूमि पर कब्जा के सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य पेश किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता हो की रेस्पोडेन्टस/अपीलार्थीगण में से किसी का कोई कब्जा उक्त विवादित भूमि पर हो। फलस्वरूप चक 6 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 3 की 6.200 है. में से निस्फ हिस्सा अर्थात 12.05 बीघा भूमि का विरास्तन इंतकाल संख्या 796 दिनांक 19.06.2024 जो नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट के द्वारा स्वीकृत किया गया है को निरस्त किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि कब्जा के सम्बन्ध में दोनो पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें तब तक उभय पक्षकारान मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें। आदेश की प्रति मय रिकॉर्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर